Government of India/भारत सरकार
Ministry of Home Affairs/गृह मंत्रालय
Bureau of Police Research & Development
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
Central Academy for Police Training,
केन्द्रीय पुलिस प्रषिक्षण अकादमी

Kanhasaiya/कान्हासैया
PO- Kokta/पो0ऑ0 कोकता
Bhopal (MP)-462022
भोपाल (म0प्र0) – 462022
Tele- 0755-2706000
Facebook/Twitter
@CAPTBHOPAL

निविदा सूचना

आपको, जनसामान्य को जानकारी दी जाती है कि सी0ए0पी0टी0–केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल के परिसर में उगी घास (जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है) की बिक्री हेतु निविदा, ठेकेदार एवं पशुपालक भाईयों से बंद लिफाफे में आंमत्रित की जाती हैं।

निविदा फार्म कार्यालय पर खोलने का दिनांक व समयः– 20.11.2020 समय 1100 बजे

(यदि आवश्यकता हुई और निविदा का मूल्य आपेक्षित से कम पाया गया तो निविदा खोलने के तुरंत बाद नीलामी की जावेगी दिनांक 23.11.20 व समय 1200 बजे)

घास से उत्पादन का विवरणः–

केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी परिसर में उगी समस्त घास को उक्त विक्री के लिए निवेदित किया जाता है, परंतु रोपे गये वृक्षों के आस–पास का क्षेत्र व लगाये गये लॉनों के क्षेत्र को छोड़कर जहॉ की घास अकादमी के कार्मिकों की देख–रेख में जरूरी हुआ तो कटाई करवाई जा सकेगी अन्यथा नहीं। उक्त क्षेत्रों में निम्नलिखित प्रमुख हैं:–

- मुख्य सड़क (लगभग 6.5 कि0मी0 लंबाई) के दोनो तरफ की घास ।
- अकादमी परिसर के पार्ट–A व C (लगभग 200 एकड) में उगी घास ।
- बागवानी क्षेत्र में बागवानी वृक्ष या पौधरोपित को बिना हानि किए मुख्य अकादमी क्षेत्र में उगी घास जिसकी क्षेत्र की नाप लगभग 200 एकड़ है, को निकालनी है
- उपरोक्त के अलावा जो कैम्प परिसर में जहां भी घास है वो सब सम्मिलित है।

घास काटने की समय व अवधि :– निविदा स्वीकार होने व पूरी राशि जमा होने के तुरंत बाद से 5.02.21 तक
(किसी भी परिस्थिति में 5.02.21 से समय नहीं बढाया जायेगा और न ही आगे के समय में घास काटने की स्वीकृति दी जा सकेगी)

आवश्यक ध्यान देने वाली बातें:– यह प्रशिक्षण अकादमी होने की वजह से घास काटने व ले जाने में सावधानी बरतनी आवश्यक है। अतः यह जरूरी है कि

1. कृपया घास निकालते समय ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों व संबंधित कर्मचारी की जानकारी में कटाई करें।

2. घास के साथ किसी अन्य प्रकार की वस्तुएं जैसे लकड़ी (किसी भी रूप में टहनी या बड़े भाग) तथा संस्थान के किसी भी उत्पादन को किसी भी प्रकार की हानि पहुॅचाने या ले जाना पूरी तरह गैर कानूनी है और दण्डनीय होगा।

बिक्री निविदा की शर्ते निम्न होगीं–
1. बिक्री निविदा दिए गए प्रारूप में भरकर एक बंद लिफाफे में मुख्य कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में स्वयं डाल देवें या रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज सकते हैं। प्रत्येक निविदा के साथ अपना पैनकार्ड, आधार कार्ड व बैंक एकाउंट पास बुक की प्रतिलिपि अवश्य संलग्न करें, इसके साथ ही तत्काल अमानत शुल्क की ई0एम0डी0 रूपये–2000/– का Demand Draft, निदेशक, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, कान्हासैया, पोस्ट–कोकता, भोपाल के नाम निविदा के साथ ही लिफाफे में लगा देवें।

2. निविदा भरने वाले इच्छुक ठेकेदार पहले प्रक्षेत्र में घास की जानकारी पूरी तरह से ले लेवें निविदा प्राप्त करने के बाद पूरी जानकारी/जिम्मेवारी निविदा देने वाले की होगी।

3. निविदा में भाग लेने के इच्छुक ठेकेदार प्रक्षेत्र में उगी हरी घास का निरीक्षण फार्म प्रशासनिक कार्यालय से समय प्रातः 1000 बजे से 1700 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं।

4. बिक्री निविदा की धनराशि का लेन–देन Check/NEFT द्वारा करना होगा ।

5. Demand Draft की राशि रूपये–2000/– जिसकी निविदा स्वीकार नहीं हुई है उसे तुरंत वापस कर दी जायेगी परंतु जिसकी निविदा स्वीकार हुई है उन्हे घास काटने की समय अवधि समाप्त होने पर ही वापिस दी जावेगी।

6. सफल निविदा दाता को निविदा राशि की 25 प्रतिशत की धनराशि का Check/ Draft संस्थान कार्यालय में संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को जमा करना होगा उक्त राशि का चेक/डी0डी0 न जमा किए जाने की स्थिति में उनके द्वारा जमा कराई गई

अमानत राशि को जमा कर लिया जावेगा, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा। सफल निविदा दाता द्वारा उक्त निविदा राशि उद्वत निविदा राशि का शेष आदेश जारी होने के 5 कार्य दिवस के भीतर संस्थान/कार्यालय में जमा करना होगा। निश्चित समय अवधि में के कुल उद्वत निविदा राशि की 75 प्रतिशत की राशि नहीं जमा कराई जाने की स्थिति में सफल निविदा के पक्ष में छोडी गई निविदा को निरस्त करते हुए उनके द्वारा अमानत राशि व निविदा की जमा कराई गई 25 प्रतिशत राशि को जप्त कर लिया जायेगा जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। घास कटाई उसमे उपयोग होने वाले औजार को लाने की व घास को ले जाने की जिम्मेवारी निविदा धारक की ही होगी। यह बता दें कि इसमें अकादमी की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलेगी।

7. निविदा को स्वीकार करने के बाद से अकादमी के सभी स्थानों पर घास की सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदा धारक की ही होगी।

8. अकादमी में किसी भी प्रकार से पशुओ को लाकर चराना पूरी तरह से गैर कानूनी है और इस प्रकार के कार्यो पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

9. कृपया घास निकालते समय ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी की जानकारी में ही घास की कटाई करें।

10. घास के साथ किसी अन्य प्रकार की वस्तुएं जैसे लकड़ी (किसी भी रूप में टहनी या बड़े भाग), तथा अकादमी के किसी भी उत्पादन को किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाना या ले जाना पूरी तरह गैर कानूनी है और दण्डनीय होगा।

11. **घास काटने की समय व अवधि** :— निविदा के स्वीकार होने व पूरी राशि जमा होने के तुरंत बाद से 5.02.21 तक ही रहेगी। अतः पूरी घास इस समय में निकाल लें उसके बाद बाकी रही घास की जिम्मेदारी अकादमी की ही होगी।

12. निविदा करने के पहले या बाद में और स्वीकार करने के उपरांत भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने/निरस्त करने का पूर्ण अधिकारी निदेशक, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा।

13. यदि निविदा का मूल्य आपेक्षित से कम पाया गया तो निविदा खुलने के तुरंत बाद नीलामी की जायेगी अतः सभी से अनुरोध है कि निविदा खुलने के समय सब उपस्थित रहें, और नीलामी में भाग लेवें।

निदेशक,
केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी,
कान्हासैया, पोस्ट—कोकता, भोपाल